

1.	योजना का नाम	अनुप्रति-3 (IITs, IIMs एवं राष्ट्रीय स्तर के मेडीकल कॉलेजों में प्रवेश हेतु अनुदान राशि)	
2.	योजना का संक्षिप्त परिचय	योजनान्तर्गत राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को IITs, IIMs एवं राष्ट्रीय स्तर के मेडीकल कॉलेजों इत्यादि शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में अधिकाधिक प्रवेश को प्रोत्साहित करने हेतु अनुदान राशि प्रदान किये जाने का प्रावधान है।	
3.	प्रारम्भ होने का वर्ष	वर्ष 2008-09	
4.	लाभान्वित वर्ग	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग	
5.	पात्रता	<ul style="list-style-type: none"> आवेदन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग का हो। वह राजस्थान का मूल निवासी हो। अभ्यर्थी के माता-पिता/अभिभावकों की वार्षिक आय रुपये 2.00 लाख से अधिक न हो। प्रोत्साहन राशि संस्थान में प्रवेश के पश्चात् देय होगी। 	
6.	देय सुविधाएं	संस्थान का नाम	देय अनुदान की राशि
		IITs	प्रवेश परीक्षा में सफल होने तथा संस्थान में प्रवेश लेने के उपरांत देय अनुदान राशि रुपये 50,000
		IIMs	<ul style="list-style-type: none"> CAT (Common Admission Test) में उत्तीर्ण होने पर अभ्यर्थी को Group Discussion तथा Personal Interview की तैयारी हेतु देय राशि रुपये 25,000 Group Discussion तथा Personal Interview में सफल होने तथा संस्थान में प्रवेश के उपरांत देय राशि रुपये 25,000
		AIIMs	प्रवेश परीक्षा में सफल होने तथा संस्थान में प्रवेश लेने के उपरांत अनुदान राशि रुपये 50,000
		Indidan Institute of Science, Bangalore	प्रवेश परीक्षा में सफल होने तथा संस्थान में प्रवेश लेने के उपरांत देय अनुदान राशि रुपये 50,000
		Indian Institute of Science & Applied Research, Kolkata & Bangalore	प्रवेश परीक्षा में सफल होने तथा संस्थान में प्रवेश लेने के उपरांत देय अनुदान राशि रुपये 50,000

		GOI/ Medical Council of India के द्वारा प्रमाणित राष्ट्रीय स्तर के अन्य Medical Colleges	<ul style="list-style-type: none"> • प्रथम चरण की प्रवेश परीक्षा में सफल होने तथा संस्थान में प्रवेश लेने के उपरांत देय अनुदान राशि रूपये 20,000 • मुख्य परीक्षा में सफल होने तथा संस्थान में प्रवेश के उपरांत देय अनुदान राशि रूपये 20,000
		All India Council for Technical Education के द्वारा प्रमाणित राष्ट्रीय स्तर के प्रौद्योगिकी संस्थान (NITs)	प्रवेश परीक्षा में सफल होने तथा संस्थान में प्रवेश लेने के उपरांत देय अनुदान राशि रूपये 40,000
		केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित National Law Universities	CLAT (Common Law Admission Test) में सफल होने तथा संस्थान में प्रवेश लेने के उपरांत देय अनुदान राशि रूपये 40,000
7.	आवेदन का तरीका	निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा।	
8.	आवेदन कहाँ किया जावे	आवेदन संबंधित जिले के जिला कार्यालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को किया जायेगा।	
9.	आवेदन के साथ औपचारिकताएं	<ul style="list-style-type: none"> • जाति प्रमाण पत्र • मूल निवास प्रमाण पत्र • आय प्रमाण पत्र संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार या राजकीय सेवा में होने पर संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा जारी हो व 6 माह से पुराना नहीं हो। • प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र एवं संस्थान में प्रवेश का प्रमाण पत्र • एक शपथ पत्र कि उसने चालू वित्तीय वर्ष में पूर्व में यह राशि प्राप्त नहीं की है। 	
10.	सम्पर्क सूत्र	जिला कार्यालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	